

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14.9.21

वकील उमपपन्न उष्य उमपपन्न की
सदस्यता से, प्रकरण अधिक स्वेच्छा
किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय
का अधीनस्थ आदेश दिनांक 10/11/20

निरस्त किए जाकर, प्रकरण अधीन

न्यायालय को पुनः उमपपन्न को

साक्षर व सुनवाई का अवसर दे

दिए, विधि अनुसार निर्णय पारित

करने हेतु धीरे धीरे किया जाता

है। साथ ही यह भी निर्देश दिया

जाता है कि वह उमपपन्न को सुनवाई

का अवसर देते हुए अधिकतम एक

माह में निर्णय पारित करें, तब

तक अपील के सबे पारित स्वयं

आदेश प्रतिलिखित होंगे। जज फैसल

सुधार से जाकर न्यायालय से इन

की जाँच, वाद जाता शरितल दफ्तर

की निर्णय सुनाया जाय।

उपरोक्त उमपपन्न अधीनस्थ न्यायालय

में दिनांक 20/9/21 को वास्तु

सुनवाई उपस्थित होंगे।

हुक्म या कार्यवाही
मय
राज्य न्याय अधिकार
व्यवस्थापक न्यायाधीश-जी.ए.ए.